न्यायालय – श्री विकास कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, अररिया

परिवाद पत्र संख्या- 2542(c) of 2022

सहजादी प्रवीण बनाम मो0 असरफ अंसारी एवं अन्य

Date	Order with initials of the Magistrate.	Remarks
02.07.2025	आज यह अभिलेख आरोप पर सुनवाई हेतु रखा गया है। परिवादिनी अनुपस्थित है। सभी दस अभियुक्त **1. समसूल अंसारी 2. कसीरन 3. बीबी रूकसाना उर्फ गुड़िया 4. जमषेद 5. रौनक 6. अफसाना 7. मो0 असरफ 8. असलम 9. मो0 अरसद एवं 10. मुस्ताक अंसार** उपस्थित है एवं उन्होंने हाजरी दाखिल किया । दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता, परिवादिनी एवं सभी अभियुक्तगण उपस्थित हुए। दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा निवेदन किया गया कि वाद में दोनों पक्षों में समझौता हो गया है तथा परिवादिनी का आरोप पूर्व साक्ष्य होना आवश्यक है। अतः दोनों पक्षों के अनुरोध पर आरोप पूर्व साक्ष्य को खोला गया तथा परिवादिनी की आरोप पूर्व गवाही ली गई। पुनः दोनों पक्षों के निवेदन पर आरोप पूर्व साक्ष्य को बंद किया गया। इसके उपरांत सफाई पक्ष के अधिवक्ता द्वारा धारा 245 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत दाखिल किये गये आवेदन को प्रचारित किया गया । सफाई पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह समर्पित गया कि परिवादिनी का इस वाद में सभी अभियुक्तों से राजी खुशी बिना डर भय के सुलह समझौता हो गया है। परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी बचाव पक्ष के धारा 245 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन पर परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा **"No objection".** अंकित किया जा चुका है तथा परिवादिनी ने भी अपने आरोप पूर्व साक्ष्य में इस बात को स्वीकारा है। अतः न्याय हित में अभियुक्त के पक्ष से दाखिल अन्तर्गत धारा 245 दं0 प्र0 सं0 के आवेदन को स्वीकृत करते हुए अभियुक्तों को उन्मोचित–**डिस्चार्ज** किया जाए। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इस वाद में दस अभियुक्तों में से आठ अभियुक्त दिनांक 26.07.2023 को एवं अन्य दो अभियुक्त दिनांक 27.07.2024 को न्यायालय में आत्मसमर्पण करके जमानत प्राप्त किया था। यह वाद 01.08.2024 से ही आरोप पूर्व साक्ष्य पर चला आ रहा है। दिनांक 02.07.2025 को न्यायालय में इस वाद के परिवादिनी उपस्थित हुई और न्यायालय द्वारा न्यायहित में उन्होंने अपने आरोप पूर्व **मुख्य परीक्षण** में घ ार के मामले को लेकर विवाद हुआ था एवं असरफ अंसारी से विधिपूर्वक तलाक हो गया है एवं अन्य उल्लेखनिय बात नहीं कहीं है। अपने **प्रति परीक्षण** में कहते है कि किसी असामी ने उनसे दहेज की मांग नहीं किया है। सिर्फ परिवारिक झगड़ा के कारण पति पत्नी ने तलाक लेने का फैसला किये है तथा समझौता के आधार पर निष्पादन करने के बात कही	

लगातार

लगातार..... **02.07.2025**	है और परिवादिनी ने यह सशपथ कहा है कि वह इस वाद में कोई गवाही देना नहीं चाहती हैं। उपर्युक्त विवेचना से यह बात स्पष्ट है कि इस वाद में सिर्फ एक साक्षी का साक्ष्य आरोप पूर्व साक्ष्य के स्तर पर हुआ है जो कि परिवादिनी स्वयं है। तथा एकमात्र साक्षी के आरोप पूर्व साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि उनके साक्ष्य में कोई भी ऐसी सामग्री नहीं है जिससे अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप गठण करने हेतु कोई आधार उपलब्ध हो। इसके अतिरिक्त दोनों पक्षों में राजी खुषी सुलह समझौता हो चुका है और पारिवादिनी के विद्वान अधिवक्त के द्वारा भी अभियुक्तों के आवेदन पर "No objection"किया जा चुका है। परिवादीनी द्वारा दाखिल संधि आवेदन पत्र भी उपलब्ध है, जिसका समर्थन वह अपने आरोप पूर्व साक्ष्य में करती है। अतः अभियुक्तों पर लगाए गए आरोप निराधार एवं संदेहास्पद प्रतीत होते हैं। इस परिस्थिति में इस वाद कोई अनावष्यक रूप से आगे चलाना उचित प्रतित नहीं होता है। अतः अभियुक्तों के द्वारा दाखिल धारा 245 दंड प्रकिया संहिता के अंतर्गत दाखिल आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। तथा निम्नलिखित आदेष पारित किया जाता हैः– **आदेष** **1. अतः अभियुक्त 1. समसूल अंसारी 2. कसीरन 3. बीबी रूकसाना उर्फ गुड़िया 4. जमषेद 5. रौनक 6. अफसाना 7. मो0 असरफ 8. असलम 9. मो0 अरसद एवं 10. मुस्ताक अंसारी को धारा 249 एवं 245 दंड प्रकिया संहिता के संयुक्त प्रावधानों के अन्तर्गत उन्मोचित – डिस्चार्ज किया जाता है।** **2. कार्यलय लिपिक को यह निर्देष दिया जाता है कि अभियुक्तों विरूद्ध जो भी प्रोसेस निर्गत है उन्हें रिकोल किया जाए तथा इस आदेष को सी0आइ0एस0 पर अपलोड करके उसे अद्यतन करे** **लेखापित** **विकास कुमार न्या0 दंडा0,प्रथम श्रेणी,** **अररिया** **दिनांक 02.07.2025**	